न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/79/11	22.02.2011	29.06.2018

उनवान

1. मिजाज खां पुत्र श्री मामूरा खां,
2. अजमत खां पुत्र श्री मामूरा खां, जाति मेव निवासी ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खाता सं0 206 खसरा नम्बर 307 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी मु0 सुहागी बेवाह छोटा मेव सा0 निवाली तहसील रामगढ के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। हम वादीगण प्रश्नगत आराजीयात पर अपने बुजुर्गो के समय से काबिज दाखिल चले आ रहे है। प्रश्नगत आराजीयात पर हम वादीगण का समान भाग पर कब्जा काश्त चली आ रही है। मृतका मु0 सुहागी बेवाह छोटा के कोई औलाद पैदा नही हुई। उनकी मृत्यु तक हम वादीगण ने ही उनकी सेवा श्रुशुता की और मृतक सुहागी की अन्य चल/ अचल सम्पत्ति पर हम वादीगण की काबिज दाखिल हुए। प्रश्नगत आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खडी हुई है। हम वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से लगातार मुश्तर्का खानदान की आराजी होने तथा मुखालफाना कब्जा होने तथा मृतका सुहागी के हम वादीगण के अन्य कोई वारिस नही होने से हम वादीगण प्रश्नगत आराजीयात को अपने नाम बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के विधिक अधिकारी है। विवादित आराजी का भूमि धारक राजस्थान सरकार है कस्टोडियन विभाग नही है इसलिए वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड से

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़

मृतका सुहागी के नाम दर्ज गैरखातेदार के इन्द्राज को हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज किया जावें।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणात्मक वो दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खाता सं0 206 खसरा नम्बर 307 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर पर हम वादीगण का समान भाग पर मुखालफाना कब्जा होने के कारण, मृतका सुहागी के हम वादीगण विधिक वारिस वो काबिज जायदाद होने से उसके नाम का अंकन कलमजन किया जाकर हम वादीगण को प्रश्नगत आराजीयात का खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख में तदानुसार दरामद कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि राज्य सरकार के विरूद्ध वाद लाये जाने से पूर्व नियमानुसार 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए था। जो नही दिया गया। अतः वाद इसी आधार पर खारिज फरमाया जावे।

वादीगण ने दावे की ताईद में स्वयं वादी मिजाज, आसीन खां का हलफनामा पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 वाके ग्राम निवाली, जमाबन्दी सम्वत 2065–68 वाके ग्राम चण्डीगढ तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 की प्रमाणित प्रतियां पेश की।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पेश हुई। राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली अवलोकन से जमाबन्दी सम्वत 2015 वाके ग्राम निवाली के खाता सं0 572 में सुहागी मु0 खाता नं0 572 मिन नवाज खां पुत्र रूस्तम मेव सा0 देह अलोटी दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2065–68 वाके ग्राम चण्डीगढ में मु0 सुहागी बेवा छोटा मेव सा0 निवाल गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे प्रतीत होता है कि विवादित आराजी मु0 सुहागी बेवाह छोटा मेव सा0 निवाली तहसील रामगढ के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण उक्त आराजीयात पर अपने बुजुर्गो के समय से काबिज दाखिल चले आ रहे है। उक्त आराजीयात पर वादीगण का समान भाग पर कब्जा काश्त चली आ रही है। मृतका मु0 सुहागी बेवाह छोटा के कोई औलाद पैदा नही हुई। उनकी मृत्यु तक वादीगण ने ही उनकी सेवा श्रुशुता की और मृतक सुहागी की अन्य चल/ अचल सम्पत्ति पर वादीगण की काबिज दाखिल

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

हुए। प्रश्नगत आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खडी हुई है। वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से लगातार मुश्तर्का खानदान की आराजी होने तथा मुखालफाना कब्जा होने तथा मृतका सुहागी के वादीगण के अन्य कोई वारिस नही होने से वादीगण प्रश्नगत आराजीयात को अपने नाम बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के विधिक अधिकारी है।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता सं0 206 खसरा नम्बर 307 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को समान भाग पर मुखालफाना कब्जा होने के कारण, मृतका सुहागी के वादीगण विधिक वारिस वो काबिज जायदाद होने से उसके नाम का अंकन कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम समान भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज करे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)
उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/79 /11	22.02.2011	29.06.2018

उनवान

1. मिजाज खां पुत्र श्री मामूरा खां,
2. अजमत खां पुत्र श्री मामूरा खां, जाति मेव निवासी ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता सं0 206 खसरा नम्बर 307 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को समान भाग पर मुखालफाना कब्जा होने के कारण, मृतका सुहागी के वादीगण विधिक वारिस वो काबिज जायदाद होने से उसके नाम का अंकन कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम समान भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़